निवेशकों को जमीन पर 35% तक छूट

अजित खरे

लखनऊ। यूपी सरकार एयरोस्पेस व रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेशकों को लुभाने के लिए जमीन पर 25 से 30 प्रतिशत तक छूट देगी। पहली बार मशीनरी व उत्पादित माल के परिवहन शुल्क में 60 प्रतिशत तक की मदद करेगी। इन तरह के उद्योगों में कुशल मैनपावर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी आईटीआई पॉलिटेक्निक में एयरोस्पेस व रक्षा उद्योग के अनुकूल पाठ्यक्रम शुरू होंगे। अगर यह उद्योग महिलाएं लगाएंगी तो उन्हें सभी मदो में दो प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। औद्योगिक विकास विभाग की इस नई नीति में कंपनियों के लिए ढेर सारी रियायतों का प्रावधार किया गया है। मेगा एंकर एवं एंकर इकाइयों को रक्षा गलियारे में जमीन मूल्य में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यही नहीं इन इकाईयों को अपने भूमि क्षेत्र के 20 प्रतिशत भाग में दूसरी कंपनी की इकाई लगाने की अनुमति होगी। कौशल विकास के लिए अधिकतम रुपये 1 लाख प्रति इकाई प्रति वर्ष ।

परिवहन के लिए भी मिलेगी छूट: उद्योग लगाने से पहले संयंत्र व मशीनरी के परिवहन के लिए परिवहन लागत के 60% की सब्सिडी मिलेगी। इसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ होगी।